



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122025-268212
CG-DL-E-04122025-268212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5390]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

No. 5390]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5578(अ).—केंद्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 4 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 3648(अ) तारीख 28 अगस्त, 2024 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के खान मंत्रालय की अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रीमती फरीदा एम. नाइक, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एम.VI-16/52/2024-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd December, 2025.

S.O. 5578(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 4 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of mines, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 3648(E), dated the 28th August, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby notifies Smt. Farida M. Naik, Joint Secretary, Ministry of Mines as the administering authority for the purpose of the said Act.

[F. No. M.VI-16/52/2024-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.